उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P.POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।
CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या–2352–अ0प्र0–07/पाकालि/23–07–अ0प्र0–07/21 दिनांक : 21/08/2023

//कार्यालय ज्ञाप//

अवर अभियन्ता (वै0 एवं यां0/जा0) से सहायक अभियन्ता (वै0 एवं यां0/जा0) पद पर 40% प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत प्रोन्नति सम्बन्धी कार्यवाही में दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 में कार्यरत श्री योगेन्द्र सिंह यादव (वरि0क्र0–9948) पुत्र श्री अजमेर सिंह यादव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित/प्रचलित नहीं होने की तत्समय प्राप्त सूचना के दृष्टिगत नियमानुसार श्री योगेन्द्र सिंह यादव (वरि0क्र0–9948), अवर अभियन्ता को सहायक अभियन्ता के पद पर कारपोरेशन कार्यालय ज्ञाप सं0–3411–अ0प्र0–07/पाकालि/07–25–अ0प्र0–07/19, दिनांक 26.10.2019 द्वारा दक्षिणांचल डिस्कॉम में ऑन सीट प्रोन्नति प्रदान की गयी एवं अभिज्ञान सं0–2019064 आवंटित की गयी।

राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना (पूर्ववर्ती) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2005–06 में जनपद बॉदा, झॉसी, हमीरपुर, ललितपुर, उरई, चित्रकूट, महोबा, श्रावस्ती, बहराईच, लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, बरेली एवं लखीमपुर जनपद के गॉवों के विद्युतीकरण में की गयी वित्तीय अनियमितता के सम्बन्ध में अनु सचिव (ऊर्जा अनुभाग–2), उ0प्र0 शासन के पत्र सं0–जांच 17/24–पी–2019–सत0(15)/12, दिनांक 19.06.2019 के द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत प्रकरण में खुली जॉच सतर्कता अधिष्ठान से करायी गयी, जिसमें सम्बन्धित कार्मिकों के विरूद्ध अभियोजन पंजीकृत कराकर उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान से अन्वेषण जॉच कराये जाने का निर्णय लिया गया है। सम्बन्धित कार्मिकों में अन्य के साथ श्री योगेन्द्र सिंह, अवर अभियन्ता को भी अन्तर्ग्रस्त किया गया।

2 उपरोक्त के दृष्टिगत श्री योगेन्द्र सिंह यादव (वरि0क्र0–9948), तत्कालीन अवर अभियन्ता, के विरूद्ध तत्समय उपरोक्त वर्णित अभियोजन प्रचलित होने के दृष्टिगत श्री यादव को कार्यालय ज्ञाप सं0–3411–अ0प्र0–07/पाकालि/07–25–अ0प्र0–07/19, दिनांक 26.10.2019, द्वारा सहायक अभियन्ता के पद पर प्रदान की गयी प्रोन्नति एवं आवंटित अभिज्ञान सं0–2019064 को कॉरपोरेशन कार्यालय ज्ञाप संख्या 435–अ0प्र0–07 दिनांक 04.02.2021 द्वारा निरस्त करते हुए इनका प्रोन्नति का प्रकरण मोहरबन्द क्रियान्वित माना गया।

3 श्री योगेन्द्र सिंह यादव ने कॉरपोरेशन कार्यालय ज्ञाप संख्या 435–अ0प्र0–07 दिनांक 04.02.2021 द्वारा उनकी सहायक अभियन्ता से अवर अभियन्ता के पद पर की गई पदावनति के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ इलाहाबाद में याचिका संख्या 6422/2021

योगेन्द्र सिंह यादव बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य योजित की, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने दिनांक 20.10.2022 को आदेश पारित किया, जिसके मुख्यांशः निम्नवत उद्धृत है:-

In the case of the petitioner, till the date of filing of the counter affidavit in September, 2021, charge sheet had not been filed by the Investigating officer / vigilance officer before the competent trial court, hence, the orders impugned are set aside.

Let consequential orders be passed by the Respondent No.2 within a period of six weeks from the date a copy of this order is produced before him.

4 श्री योगेन्द्र सिंह यादव, (वरि0क0-9948) अवर अभियन्ता की सहायक अभियन्ता के पद पर की गई प्रोन्नति को निरस्त करने के संदर्भ में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ, इलाहाबाद द्वारा दिये गये उपरोक्त निर्णय दिनांक 20.10.2022 के अनुपालन में कॉरपोरेशन कार्यालय ज्ञाप संख्या 435-अ0प्र0-07/पाकालि/21- 25-अ0प्र0-07/19 दिनांक 04.02. 2021 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

5 इस कार्यालय ज्ञाप के निर्गमन के पश्चात श्री योगेन्द्र सिंह यादव की कॉरपोरेशन कार्यालय ज्ञाप संख्या 3411-अ0प्र0-07 दिनांक 26.10.2019 द्वारा अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर की गई प्रोन्नति को पुर्नस्थापित किया जाता है एवं इन्हें पूर्व में आवंटित अभिज्ञान संख्या (2019064) श्री योगेन्द्र सिंह यादव को पुनः आवंटित किया जाता है।

अध्यक्ष

संख्या :-2352-अ0प्र0-07/पाकालि/2023/तद्दिनांक (21.08.2023)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. स्पीड पोस्ट — प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा।
5. विधि अधिकारी, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, मुख्यालय लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (हाइडिल), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, को सूचनार्थ प्रेषित।
7. स्पीड पोस्ट — मुख्य अभियन्ता (वितरण), बांदा क्षेत्र, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, बांदा।
8. मुख्य अभियन्ता (वितरण), कानपुर क्षेत्र, कानपुर।

9. संयुक्त सचिव (अनु0कार्य0), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. उप सचिव (05ए), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. उप सचिव (अ0प्र0--03/04/गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0 शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
14. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
15. अनुभाग अधिकारी (अ0प्र0--03/04), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

स्पीड पोस्ट

16. श्री अभिषेक श्रीवास्तव, स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

स्पीड पोस्ट

17. श्री योगेंद्र सिंह यादव (वरि0क0 9948) (सैप आई0डी0–11001239) पुत्र श्री अजमेर सिंह, निवासी जे–242, गुजैनी, उद्योग नगर, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश– 208022।
18. गार्ड फाइल/कट फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार वर्मा)
उप सचिव (07)